:: कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला–इन्दौर (म.प्र.) ::

क्रमांक 161 /ए.डी.एम./2019 इन्दौर दिनांक 30/08/2019

आदेश

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

सर्वसंबंधित के संज्ञान में यह तथ्य लाना अत्यन्त आवश्यक है कि 14 फरवरी 2000 को केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सार्वजनिक स्थलों में विभिन्न स्रोतों द्वारा होने वाले ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 को अधिनियमित किया गया है। यह नियम म.प्र. राज्य में भी लागू है। शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, पटाखे इत्यादि के प्रयोग से ध्वनि का स्तर बढ़ता है। शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद और संवाद में व्यवधान पड़ता है। मान0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक–1216/2019 में पारित आदेश दिनांक 20/08/2019 के अनुसार शोर का स्तर 70 डेसीबल से अधिक होने एवं कोलाहल पूर्ण वातावरण के कारण उक्त रक्तचाप, बैचेनी, मानसिक तनाव तथा अनिंद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाये जाते हैं। शोर का स्तर 85 डेसीबल से अधिक होने पर बहरापन या श्रवणदोष की स्थिति उत्पन्न होती है। 90 डेसीबल से अधिक शोर होने पर कान के आंतरिक भाग की क्षति होने के प्रमाण पाये गये हैं।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उल्लंघन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, खंडपीठ ने **प्रकरण कमांक 72/1998 (सिविल अपील)** में 18 जुलाई 2005 को ध्वनि प्रदूषण पर फैसला देते हुए लाउडस्पीकरों और हार्न के यहां तक कि निजी आवासों में भी इस्तेमाल पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं; जिसमें पटाखों, लाउडस्पीकरों, वाहनों से उत्पन्न होने वाले शोर आदि को भी कवर किया गया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी) के समक्ष प्रकरण कं. ओए 681/2018 प्रचलित हैं। इस प्रकरण में माननीय हरित अधिकरण द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के परिपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा वायु अधिनियम 1981 की धारा 18(1)बी में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.06.2019 को म.प्र. राज्य के बड़े शहरों के संबंध में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु ''एक्शन प्लान'' बनाने एवं लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।

District Magistrate,
District–Indore (M.P.)

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में दी गई अनुसूची में ध्वनि के संबंध में मानक सीमा तय की गई है। ध्वनि की मानक सीमा, रहवासी क्षेत्र हेतु 55 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्र हेतु 65 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्र हेतु 75 डेसीबल तथा शांत क्षेत्र 50 डेसीबल है।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में समय–समय पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों कमशः शांत क्षेत्र, रहवासी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र में

परिवेशीय ध्वनि मापन का कार्य किया गया तथा यह पाया गया हैं कि उक्त क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर मानक सीमा से अधिक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगामी त्यौंहारों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर एवं डी.जे. इत्यादि के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की धारा 2(ग) में जिला दण्डाधिकारी को जिले की सीमा में उक्त नियमों को लागू करने हेतु प्राधिकारी बनाया गया हैं। अतः इस परिपेक्ष्य मैं **लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर** ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत आदेशित करता हूँ कि :-

1. इन्दौर जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव/आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा।
2. रात्रि समय 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

उपरोक्तानुसार ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से इसके विनियमन और नियंत्रण की आवश्यकता है। यह आदेश चूंकि आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता से संबंधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नही होने से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

यह आदेश दिनांक 30 /08/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया। उक्त आदेश दिनांक 31 /08/2019 से दिनांक 29 /10/2019 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

(लोकेश कुमार जाटव)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला-इन्दौर

पृ0क्रमांक 1612 /री.ए.डी.एम./2019 इन्दौर, दिनांक 30/08/2019

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर ।
3. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय) /पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर ।
4. अपर कलेक्टर/अति0 जिला दण्डाधिकारी, (समस्त) जिला इन्दौर ।
5. अति0पुलिस अधीक्षक, पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर ।

7. उप संचालक, जन सम्पर्क, इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अगेषित ।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खुड़ैल, सॉंवेर, महू, देपालपरु, हातोद, कनाड़िया, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, भिचौली हप्सी, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
9. एस0डी0ओ0 पुलिस, डॉ0अम्बेडकर नगर(महू), सॉवेर, देपालपुर ।
10. नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर, परदेशीपुरा, सराफा, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, अन्नपूर्णा, संयोगितागंज, आजाद नगर, गांधी नगर, खजराना क्षेत्र, इन्दौर ।
11. उप पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/जिला विशेष शाखा, इन्दौर ।
12. थाना प्रभारी, थाना ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
14. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।

कलेक्टर एवं,
जिला–दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.
District Magistrate,
District–Indore (M.P.)